भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 15 01AA 948603

प्रमाण पत्र

स्टाम्प अधिनियम की धारा 10–क के अधीन दिये गये कलेक्टर के आदेश दिनांक 07.10.2005 के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लिखत के संबंध में रूपया 9,56,600.00 (शब्दों में) रूपया नौ लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र की धनराशि का चालान संख्या 39 दिनांक 26.05.2006 को ए.टी.पी. सिलवी प्रोजेक्ट लि0 सिडकुल पन्तनगर जनपद– उधम सिंह नगर के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक रूद्रपुर में नकद संदाय किया गया है, जिसकी एक प्रति यहाँ संलग्न है।

दिनांक :– 27.5.06

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उधम सिंह नगर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उधम सिंह नगर

254 ... 11/5/2006 10)

एच०सी०बी० हिलली प्रोजेक्ट लि०
सिडकुल टल्लनगर
(उत्तराखण्ड)

11 MAY 2006

बही नं० 1 जिल्द 307 के पृष्ठ 117 पर आज
में क्रमांक 2553 को रजिस्ट्री की गई।
दिनांक 20-5-2006

उप निबन्धक
20.5.2006

2553/L/06

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

479059

विक्रय-पत्र (कृषिक)

बैनामा-27,00,000/-रूपया कीमत-95,66,000/-रूपया

स्टाम्प-7,65,280/-रूपया आ0 वि0 शुल्क-1,91,320/-रूपया

कुल स्टाम्प शुल्क-9,56,600/-रूपया विक्रय क्षे0-0.9110 है0.

खाता नं0-104 खेत नं0-249 रकबा-0.9110 है0 स्थित ग्राम-फुलसुंगी तहसील-किच्छा

जिला-उधम सिंह नगर। आवास विकास सीमा अन्तर्गत-

हम कि विजय शंकर शर्मा उम्र बालिग पुत्र श्री नन्द बिहारी शर्मा निवासी-ग्राम-फुलसुंगा तहसील-किच्छा, जिला-उधम सिंह नगर हाल निवासी-एन0/6/62 डी0-4 बिनायका बड़ी गेबी पो0-महमूरगंज निकट कमच्छा पावर हाउस जिला-वाराणसी विक्रेता प्रथम पक्ष है। व मै0 ए0 टी0 पी0 सिल्वी प्रोडेक्ट लि0 प्लाट नं0-07 सैक्टर-9 आई0 आई0 ई0 पंतनगर जिला-उधम सिंह नगर द्वारा डायरेक्टर श्री ए0 अन्नथा आचार पुत्र श्री नारायण आचार निवासी-179 एम0 आई0 जी0 आवास विकास कालौनी रूद्रपुर तहसील-किच्छा, जिला-उधम सिंह नगर क्रेता द्वितीय पक्ष है।

क्रमांक 345 दिनांक 29-5-06 कीमत 50/-
नाम मैसर्स टैक्निपॉल सिक्यूरिटी प्रा० लि०
पता प्लाट नं० 9 आई०आई०ई० पंतनगर
वास्ते (ऊधम सिंह नगर)

विरेन्द्र लाल चौहान
स्टाम्प विक्रेता किच्छा (ऊ० सि० नगर)
लाईसेन्स सं0 09 2002 वैधता 31.03.2007

200000
9586000/

[illegible] 600 5020

[illegible] ने यह लेखपत्र कार्यालय उप निबन्धक किच्छा, जिला ऊधम सिंह नगर में आज दिनाँक [illegible] /06 समय 4 व 5 बजे दिन के प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक
किच्छा (ऊधम सिंह नगर)

1 7 MAY 2006

[illegible] व तकमील इकरानामा व वसूलयाबी
लेखानुसार 200000/- [illegible] /रुपये पूरे
[illegible] ने वाद सुनने व समझने के निष्पादन स्वीकार किया जिनकी
पहचान श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
[illegible] व श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
[illegible]

उप निबन्धक
किच्छा (ऊधमसिंह नगर)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

479060

-: 2 :-

यह कि प्रथम पक्ष की काश्त आराजी भूमिधरी स्थित ग्राम फुलसुंगी तहसील-किच्छा जिला-उधम सिंह नगर में खाता नं0-104, खेत नं0-249 कुल रकबा-0.9110 है0 वार्षिक लगानी-22.55 रू0 दर्ज नाम है। जिसकी सीमा दस्तावेज के आखीर में दी गयी है। व मुझे उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो आज तक हर प्रकार के कर्जे व भार एवं वाद-विवादों से कतई पाक व साफ है। व प्रथम पक्ष को उक्त वर्णित आराजी के जुमला हक हकूक व अधिकार विक्रय करने के प्राप्त है। लिहाजा प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी को अपने जुमला हकहकूक तमामी मुताल्लिका जुमला शै के बिल एवज मुवलिग-27,00,000/-रूपये (सत्ताईस लाख रूपये) में आप **द्वितीय पक्ष** **मै0** ए0 टी0 पी0 सिल्वी प्रोडेक्ट लि0 प्लाट नं0-07 सैक्टर-9 आई0 आई0 ई0 पंतनगर जिला-उधम सिंह नगर द्वारा डायरेक्टर श्री ए0 अन्नथा आचार पुत्र श्री नारायण आचार निवासी-179 एम0 आई0 जी0 आवास विकास कालौनी रूद्रपुर तहसील-किच्छा, जिला-उधम सिंह नगर को फरौक्त कर दिया यानि बेच डाला और कुल जरे मजकूरा कीमत मु0-5,25,000/- जरिये डी0 डी0 नं0-003822 दिनांक-10-02-2006 बैंक एच0 डी0 एफ0 सी0 रूद्रपुर तथा मु0-8,00,000/, डी0 डी0 नं0-501484 व मु0-8,00,000/- डी डी0 नं0-501485 तथा मु0-5,00,000/-रूपया डी0 डी0 नं0-501486 दिनांकित-15-05-2006 द्वारा विजया बैंक बंगलौर तथा मु0-44,000/-रूपया जरिये चैक नं0-159145 एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा रूद्रपुर पेय विल एट वाराणासी द्वारा दिनांक-28-05-2006ई0 तथा मु0-31,000/-रू0 पेशस्तर घारोघार नगद वसूल पाया। इस प्रकार अब कीमत मध्ये कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा है।

क्रमांक 346 दिनांक 29-5-06 कीमत 50/-
नाम श्री० नं०-345 के ई
पता
वास्ते

विरेन्द्र लाल चौहान
स्टाम्प विक्रेता किच्छा (ऊ0 सि0 नगर)
लाईसेन्स स0 09 2002 वैधता 31 03 2007

उप कोषागार, किच्छा (ऊ.सि.नगर)
17 MAY 2006
स.ले. (राकह, [illegible]कोषाधिकार
कोड नं० [illegible]06

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

479056

-: 3 :-

कब्जा विक्रय भूमि का द्वितीय पक्ष को सौप दिया है। आज की तारीख से प्रथम पक्ष का कोई भी वास्ता सरोकार विक्रय आराजी से नहीं रहा है विक्रय आराजी का दा०-खा० द्वितीय पक्ष केता अपने नाम करा लें कर दिया जाये। मुझ प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है न आइन्दा भविष्य में होगी। मुझ प्रथम पक्ष ने केता द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि आराजी हर प्रकार से पाक व साफ है यदि यदि कोई भी जोखिम निकली या कोई वाद-विवाद सरकारी व गैर सरकारी लेन-देन कर्जा या भार साबित हुआ तो उसकी कुल जिम्मेदारी मय हर्जा व खर्चा एवं मय वापसी जरै समन मुनाफे के व जिम्मे मुझ प्रथम पक्ष व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर आयद होगी। विक्रय भूमि कृषि भूमि है जो आवासीय व वर्कमैन कालौनी एवं रॉ मैटिरयल स्टोर बनाने हेतु क्रय की जा रही है। व अर्द्ध नगरीय क्षेत्र में स्थित है जिसका कलेक्टर द्वारा नियत मूल्य 6,76,000रूपया प्रति हैक्टेयर है। विक्रय आराजी में कोई पेड़-पौधा व निर्माण नही है। जो ग्राम-फुलसुगी तहसील-किच्छा जिला-उधम सिंह नगर की है। तथा रूद्रपुर-किच्छा मुख्य मार्ग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एवं निकटतम बस स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केता व विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति नही है।

क्रमांक 317 दिनांक 29-5-06 रु० 50/-
नाम ......
पता ...... श्री० लै०- ३५५ के हैं
वास्ते ......

विरेन्द्र [illegible] चौहान
स्टाम्प विक्रेता किच्छा (ऊ० सि० नगर)
लाईसेन्स स० 09 2002 वैधता 31 03 2007

किच्छा जिला [illegible] उत्तराखण्ड
सत्यमेव जयते

उप कोषागार, किच्छा (ऊ.सि.नगर)
17 MAY 2006
स.ले. (कोषागार) [illegible]
[illegible]
[illegible] 006

[illegible] भाषा [illegible] 1-5
[illegible] वि० [illegible] लिया [illegible]
[illegible] किया [illegible]

[illegible]
29/5/06

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

479057

-: 4 :-

यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को कय करने की अनुमति प्रमुख सचिव महोदय उत्तरांचल शासन देहरादून के पत्रॉक सं0-49 भू0 कय/18 (1)/2006देहरादून दिनांक-12 मई 2006 एवं कार्यालय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के संख्या-888/सात-स0भू0आ0/2006 दिनांक-20 मई 2006 के द्वारा प्राप्त कर ली है। यह कि केता प्रथम पक्ष ए0टी0पी0 सिल्वी प्रोडेक्ट लि0 का इन्कम टैक्स पेन नं0-AAFCA 3135N है। एवं विकेता द्वितीय पक्ष श्री विजय शंकर शर्मा का इन्कम टेक्स पेन नं0-AEAPS3126B है। हम दोनों पक्षों ने उत्तरांचल अधिनियम-29 वर्ष-2003 का उलंघन नही किया है अगर किसी स्तर पर इस अधिनियम का उलंघन पाया जाता है तो इसके सम्पूर्ण जिम्मेदार हम क्रेता व विक्रेता होगे। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता को उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष-2003 के अनुसार इस भूमि को क्रय करने का अधिकार प्राप्त है

V. S. Sharma

क्र० 348 दिनांक 29.5.06 50/-
नाम ......आर० नं०-345 के हैं।
पता ....
वा.स्टे ....

विरेन्द्र लाल चौहान
स्टाम्प विक्रेता किच्छा (ऊ० सि० नगर)
लाईसेन्स स० 09 2002 वैधता 31.03.200

उप कोषागार, किच्छा (ऊ.सि.नगर)
17 MAY 2006

सत्यमेव जयते
उत्तरांचल

Paymentल

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

479058

-: 5 :-

विकय भूमि की सीमा इस प्रकार है- पूरब में श्री प्रकाश शर्मा की भूमि, पश्चिम में रास्ता चकरोड कच्चा बाद नाली, उत्तर में नाली बाद चकरोड रास्ता, दक्षिण में चकरोड व नाली है। लिहाज़ा यह आलेख पत्र बैनामा रूबरू गवाहान के लिखा दिया कि सनद् रहे फक्त तारीख-29-05-2006ई0

(प्रथम पक्ष)　　　　(द्वितीय पक्ष)

ड्राफ्ट बाई- रूप नारायण शर्मा दस्तावेज लेखक किच्छा।

कम्प्यूटराइज्ड- वीरेन्द्र लाल चौहान किच्छा उधम सिंह नगर।

ह0 गवाहान-

1. श्री अशोक कुमार मुन्द्रा पुत्र श्री माणिक लाल मुन्द्रा
   निवासी-ए0 179 आवास विकास रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)

2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गया सिंह,
   नि0-16/1 डी01डी02 सिविल लाईन रूदुपुर (उधम सिंह नगर)

रूप नारायण शर्मा
दस्तावेज लेखक
सब रजिस्ट्रार कार्यालय
किच्छा (उधम सिंह नगर)
ला० नं० 5
नवीनीकरण
29/5/06

क्रमांक 349 दिनांक 29.5.06 मूल्य [illegible]
नाम [illegible] /
पता ....
वासी ....

विरेन्द्र लाल चौहान
स्टाम्प विक्रेता किच्छा (ऊ0 सि0 नगर)
लाईसेन्स स0 09 2002 वैधता 31.03.2007

11 MAY 2006
स.ले. (राय.ह. उपकोषागार
किच्छा
कोड नं० 7506